अध्याय X : गृह मंत्रालय

दिल्ली पुलिस

10.1 सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को चालू करने में विलम्ब

नई दिल्ली और केन्द्रीय जिले के लिए फरवरी 2013 में सीसीटीवी निगरानी परियोजना में उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के लिए तकनीकी आवश्यकता का मूल्यांकन और निर्धारण करने में दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय की विफलता रही क्योंकि ₹ 42.94 करोड़ के व्यय के बावजूद भी अक्तूबर 2017 तक अपूर्ण रहा। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस इन इलाकों के लिए सीसीटीवी कैमरों को किराए पर लेने में ₹ 21.02 लाख का मासिक व्यय कर रही है।

फरवरी 2008 में, दिल्ली पुलिस (डीपी) ने अपने पुलिस अधिकार क्षेत्र के आसपास अपराधों को मानीटर तथा समाधान करने तथा सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को स्थापित करने का निर्णय लिया। यह चरणों में पूर्ण होना था। अक्तूबर 2008 में, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने इस कार्य को करने के लिए मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) को नामित किया। जुलाई 2012 में, गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के सीसीटीवी परियोजनाओं के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स -2010 (सीडब्ल्यूजी मदों) से बचे हुए उपकरणों 1,888 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे बचे हुए के उपयोग को मंजूरी दी। सीडब्ल्यूजी मदों भारत के खेल प्राधिकरण, दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्मालिया विश्वविद्यालय के अधिकार में थे और इसे युवा मामले एवं खेल मंत्रालय (एमवाईएएस) से डीपी को हस्तांतरित की जानी थी।

फरवरी 2013 में, डीपी ने नई दिल्ली और केन्द्रीय जिले के छह पुलिस थानों[1] के अधिकार क्षेत्रों में उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव के लिए ₹ 74.29 करोड़ का ईसीआईएल को एक अनुबंध

[1] चाणक्यपुरी, संसद मार्ग, बाराखंबा रोड़, कनॉट प्लेस, गोल मार्किट, मंदिर मार्ग और पहाड़गंज पुलिस स्टेशन

दिया था जिसमें 1,211 सीडब्ल्यूजी कैमरों और ₹ 14.81 करोड़ के संबंधित सिस्टम और उपकरण[2] का उपयोग किया जाना था। यह कार्य जोकि संबंधित स्थलों के लिए सिविक अभिकरणों से सड़क काटने की अनुमति प्राप्त होने के 150 दिनों के अंदर पूरा होना था, ₹ 42.94[3] करोड़ व्यय होने के बावजूद अक्तूबर 2017 तक अपूर्ण रहा। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पाया:-

(i) ईसीआईएल ने सिविल और संबंधित कार्य पूरा कर लिया था, और स्थल 15 अक्तूबर 2013 तक सुरक्षा उपकरणों की स्थापना के लिए तैयार थे। चूंकि एमएचए ने अधिसूचित समापन की तारीख को मार्च 2015 तक संशोधित किया था। यद्यपि, जुलाई 2012 और जून 2015 के बीच तीन वर्षों के लिए सीडब्ल्यूजी वस्तुओं की प्राप्ति न होने के कारण सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को चालू नहीं किया जा सका।

(ii) जून 2015 में, 281 सीडब्ल्यूजी कैमरों के प्रदर्शन और तस्वीर की गुणवत्ता के आधार पर पहले से ही अन्य चरणों में कार्यान्वित परियोजनाओं के विभिन्न स्थानों में उपयोग किया गया, डीपी ने निष्कर्ष निकाला कि सीडब्ल्यूजी उपयोग में लिए गए कैमरों की विशिष्टताऐं ऐसी थी कि अधिकतर मामलों में मूल उद्देश्य, वस्तु की पहचान करने, व्यक्ति या वाहन संख्या को पहचानना संभव नहीं था। परिणामस्वरूप इन छः पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत इन इलाकों में सीसीटीवी साइटों के लिए उनका उपयोग न करने का निर्णय लिया गया था। नवम्बर 2015 में, डीपी ने सीसीटीवी कैमरों के अद्यतित तकनीकी विशिष्टताओं को अनुमोदित किया। हालांकि, इन कैमरों की कुल आवश्यकता 2,727 तक बढ़ी और ईसीआईएल की तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव को 20 माह बाद अगस्त 2017 में अंतिम रूप दिया गया और ईसीआईएल के साथ अनुबंध अक्तूबर 2017 तक लंबित था। इस प्रकार, उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को स्थापित तथा चालू करने के लिए एक अनुबंध फरवरी 2013 में दिया गया था, चार वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी पूर्ण नहीं हो सका। अगर डीपी ने तकनीकी आवश्यकताओं का निर्धारण और सीडब्ल्यूजी कैमरों के मूल्यांकन के लिए उनकी आवश्यकता के

---

[2] पीटीजेड ऑटोडोम आईपी कैमरा, लेंस सहित फिक्सड आईपी कैमरा, एलसीडी मॉनीटर, विडियो प्रबंधन, व्यावसायिक वर्क स्टेशन आदि।

[3] ₹ 37.14 करोड़ अग्रिम और ₹ 5.80 करोड़ सड़क बहाली प्रभारों की प्रतिपूर्ति के रूप में।

लिए उनकी उपयुक्तता का आकलन इस परियोजना के लिए इनका उपयोग करने के निर्णय से पहले किया होता इस विलंब को टाला जा सकता था।

(iii) इसी दौरान, डीपी ने सेन्ट्रल विस्टा, एसपी मार्ग और संसद भवन के लिए 145 सीसीटीवी निगरानी कैमरे को नई दिल्ली जिले के अंतर्गत लिया। अगर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना समय सीमा से हो गई होती तो इन कैमरों के किराए पर होने वाला ₹ 21.02 लाख का मासिक व्यय टाला जा सकता था। सितम्बर 2017 तक चल रही केवल इस व्यवस्था के लिए कुल भुगतान ₹ 6.75 करोड़ था।

मंत्रालय ने बताया (अक्तूबर 2017) कि सीसीटीवी निगरानी प्रणाली की स्थापना में विलंब सीडब्ल्यूजी मदों की अप्राप्ति की वजह से हुई थी और संशोधित तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव के आधार पर कार्य का अनुबंध प्रक्रिया में था।

इस प्रकार, सीसीटीवी प्रणाली का उपयोग करने का निर्णय लेने से पहले व्यस्थित रूप से निर्धारण और इसकी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए जो कि सही तरीके से इसकी आवश्यकता को पूरा नहीं करता। डीपी की विफलता के परिणामस्वरूप निगरानी परियोजना में ₹ 42.94 करोड़ के व्यय के बावजूद अक्तूबर 2017 तक अपूर्ण रहा। विलम्ब के कारण दिल्ली पुलिस तीन क्षेत्रों के लिए सीसीटीवी कैमरे किराए पर लेने पर ₹ 21.02 लाख का मासिक व्यय कर रहा है जबकि दोनों जिले के अन्य भाग सीसीटीवी निगरानी प्रणाली से बाहर रहे।

10.2 अनियमित छुट्टी यात्रा रियायत दावे

दिल्ली पुलिस के कुछ कार्यालयों में कर्मचारियों ने सरकार के आदेशों का उल्लंघन करते हुए एयर किरायों के साथ छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के दावों को प्रस्तुत किया। यह दावे बिना संविक्षा के पारित किए गए जिसके परिणामस्वरूप 435 कर्मचारियों को ₹ 2.56 करोड़ की अनियमित प्रतिपूर्ति की गई ।

सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) 2005 के नियम 21 अनुबंध करता है कि लोक निधियों से होने वाले या प्राधिकृत व्यय सभी अधिकारी वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों द्वारा निर्देशित होने चाहिए। यह भी बताया गया है

कि व्यय को पूरा करने के लिए दी गई भत्ते की राशि को इस प्रकार विनियमित किया जाना चाहिए कि भत्ते प्राप्त करने वालों के लिए लाभ के पूरे स्रोत न हो।

भारत सरकार (जीओआई) ने गैर पात्र कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में कहीं भी एयर इंडिया द्वारा यात्रा करने और जम्मू-कश्मीर (जे एण्ड के) जाने के लिए किसी भी एयरलाइन से समय-समय पर विस्तारित एवं उसमें शामिल शर्तों के अधीन क्रमश: 2 मई 2008[4] और 18 जून 2010[5] को अपने आदेश के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) पर जाने की अनुमति दी थी। भारत सरकार के आदेश[6] अनुबन्ध करता था कि एलटीसी की यात्रा के लिए हवाई टिकट सीधे एयरलाइनों बुकिंग काउंटर वेबसाइट पर या प्राधिकृत ट्रेवल ऐजेंटों जैसे मैसर्स बालमर लॉरी एंड कम्पनी, मैसर्स अशोक ट्रेवल एंड टूअर्स और आईआरसीटीसी की सेवाओं का उपयोग करके खरीदे जाने चाहिए।

लेखापरीक्षा ने 1,196 गैर पात्रता प्राप्त कर्मचारियो[7] के संबंध में दिल्ली पुलिस के चार कार्यालयों[8] के एलटीसी दावों की संविक्षा की थी, जिन्होंने 2010-13 और 2014-17 के ब्लॉक वर्ष के लिए जम्मू -कश्मीर एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की हवाई जहाज से यात्रा की थी। लेखापरीक्षा 567 कर्मचारियों के 435 यात्रा ब्यौरों का पता कर सकी, जिन्होंने निजी एयरलाइन की वेबसाइट से निजी एयरलाइन द्वारा यात्रा की थी। इन सभी मामलों में, यह पाया गया कि हवाई टिकट न तो सीधे एयरलाइन से और ना ही प्राधिकृत ट्रैवल ऐजेंटों से खरीदा गया था। इन 435 कर्मचारियों (**अनुबंध-V**) द्वारा हवाई किराया ₹ 2.56 करोड़ दावा किया गया तथा दिल्ली पुलिस द्वारा प्रतिपूर्ति इन कर्मचारियों द्वारा लगाए गए टिकट एयरलाइन की वेबसाइट पर दिखाए गए टिकटों की लागत से भी अधिक

---

[4] उत्तर-पूर्व हेतु: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ओएम नं. एफ नं. 31011/4/2007 स्था.(ए) दिनांक 2 मई 2008, 20 अप्रैल 2010 और 30 अप्रैल 2012 और ओएम नं. 31011/3/2014 स्था.(ए-IV) दिनांक 26 सितम्बर 2014

[5] जे एण्ड के हेतु: डीओपीटी ओएम नं. 31011/2/2003-स्था.(ए-IV) दिनांक 18 जून 2010 और 15 जून 2012, डीओपीटी ओएम नं. 31011/7/2014 स्था.(ए-IV) दिनांक 28 नवम्बर 2014

[6] वित्त मंत्रालय ओएम नं. 19024/1/2009-ई IV दिनांक 16 सितम्बर 2010

[7] ओएण्डसी-390, सुरक्षा-403, पश्चिम-277 और केन्द्रीय-126

[8] पुलिस उपायुक्त (डीसीएससी), संचालन और संचार (ओ एंड सी), सुरक्षा, पश्चिम दिल्ली और केन्द्रीय दिल्ली

थे। इन कर्मचारियों ने एयरलाइनों के मूल टिकट प्रस्तुत नहीं किए थे तथा हवाई किराए का दावा अधिक किया गया था। हालांकि, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उचित परिश्रम किए बिना तथा मौजूदा निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित किए बिना दावों को अनुमति दी गई थी।

लेखापरीक्षा शेष 132 कर्मचारियों जिन्होंने इसी निजी एयर लाइन द्वारा यात्रा की थी के संबंध में टिकट विवरण प्राप्त नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त 629 कर्मचारियों, जिन्होंने अन्य एयरलाइनों का उपयोग किया था के यात्रा विवरण की जांच भी नहीं की जा सकी क्योंकि ये इन एयरलाइंस की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं थे।

मंत्रालय/ दिल्ली पुलिस ने बताया (जनवरी 2017/जुलाई 2017) कि दिल्ली पुलिस के संबंधित कार्यालयों में वसूली आरंभ कर दी गई है और जुलाई 2017 तक ₹ 1.68 करोड़ की वसूली की गई है। एक कार्यालय नामत: डीसीपी (पश्चिम दिल्ली) ने यह स्वीकार किया कि कर्मचारी ने यात्रा की थी, केवल टिकट की वास्तविक लागत से अधिक दावा की गई राशि अनियमित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा निष्कर्षों के दावों को पारित करने के लिए संबंधित प्राधिकरण द्वारा एलटीसी दावेदारों के दावों की कुल वित्तीय अयोग्यता के साथ-साथ अंखडता के मुद्दों को भी उठाया और इसकी पुनरावृत्ति को रोकने हेतु निवारक कार्रवाई के लिए कहा। हालांकि, यह सूचित नहीं किया गया है कि असंगत दावों को प्रस्तुत करने के लिए कर्मचारियों के प्रति यदि कोई अनुशासनात्मक तथा अन्य कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अलावा चार कार्यालयों में शेष कर्मचारियों के दावों की जांच करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे, जिसके लिए लेखापरीक्षा प्राप्त नहीं किया जा सका तथा दिल्ली पुलिस के अन्य कार्यालयों के कर्मचारियों का विवरण जिन्होंने इसी दौरान इसी तरह एलटीसी का लाभ लिया था। आगे, यह स्थिति कि टिकट के वास्तविक लागत से अधिक राशि का दावा अनियमित और अवैध है क्योंकि पूरी प्रतिपूर्ति अनियमित है। चूंकि हवाई टिकटों को अप्राधिकृत रूप से खरीदा गया था और दावे मनगढंत थे।

10.3 सर्वरों और सॉफ्टवेयर का बेकार पड़े रहना और किराए वाले सर्वरों पर परिहार्य व्यय

पट्टे पर इंटरनेट लाइनों की खरीद के साथ सर्वर और सॉफ़्टवेयर की खरीद सिंक्रनाइज़ करने के लिए दिल्ली पुलिस की विफलता के परिणामस्वरूप सर्वर और सॉफ्टवेयर की स्थापना साढ़े तीन साल तक बेकार रही तथा ₹ 1.11 करोड़ किराए के सर्वरों पर परिहार्य व्यय हुआ।

गृह मंत्रालय (एमएचए) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस के राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एससीआरबी) ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) के सर्वर पर जांच अधिकारियों के लिए पड़ोसी राज्यों और ऑनलाइन आपराधिक डोजर सिस्टम (ओसीडीएस) के साथ लापता व्यक्तियों/वस्तुओं के बारे में जानकारी साझा करने के लिए शुरूआती क्षेत्रीय एकीकृत पुलिस नेटवर्क (ज़िपनेट) की मेजबानी की थी। चूंकि बाद में एनआईसी ने अपने सर्वर से दिल्ली पुलिस के आवेदन को बंद किया था, दिल्ली पुलिस ने वैकल्पिक सर्वर पर इन आवेदन को होस्ट करने का निर्णय लिया (मई 2009)। करों सहित ₹ 29.73 लाख के वार्षिक किराया पर सीमित निविदा के माध्यम से एक निजी ऐजेंसी से दो सर्वरों (लिनक्स और विंडोज) को किराए पर रखा गया था (मई और दिसम्बर 2009)।

फरवरी 2013 में, दिल्ली पुलिस ने किराये पर ₹ 29.73 लाख की वार्षिक व्यय को बचाने के लिए एससीआरबी में इन-हाउस सर्वर पर दो सिस्टम को होस्ट करने का निर्णय लिया। तदनुसार, दिल्ली पुलिस ने मई 2013 में ₹ 1.06 करोड़ (सर्वर के लिए ₹ 63.19 लाख और सॉफ्टवेयर के लिए ₹ 42.37 लाख) के सर्वर और सॉफ्टवेयर खरीदे और जुलाई 2013 में उन्हें स्थापित किया। इन-हाउस सर्वरों और सॉफ्टवेयर को साढ़े तीन वर्ष से अधिक तक उपयोग में नहीं लाया जा सका क्योंकि पट्टे पर इंटरनेट लाइनों की खरीद को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि फरवरी 2013 में इन दोनों ऐप्लीकेशनों को इन-हाउस सर्वरों पर होस्ट करने के बाद, दिल्ली पुलिस ने विनिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए आठ माह का समय और लेने के बाद 12 नवम्बर 2013 को सीमित निविदा आमंत्रित करने की एमएचए से अनुमोदन मांगा। एमएचए ने सात मौके पर दिल्ली पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर कई बार पूछताछ की और

12 माह के बाद अंतत: 20 मई 2015 को प्रशासनिक मंजूरी दी ताकि सभी कोडल औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद खुली निविदा में ठेके को अंतिम रूप दिया जा सके। दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव पर गृह मंत्रालय द्वारा विसंगतियों का उल्लेख किया गया जिसमें व्यापक संचार योजना की अनुपस्थिति, इस योजना को अहस्ताक्षरित प्रस्तुतीकरण और निविदा बोलियों के अनुमोदन के प्रस्ताव को अग्रेषित करने में विलंब शामिल था। इसके पश्चात दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को सामान्य वित्तीय नियामावली में निर्धारित कोडल औपचारिकताओं का पालन करने में विफलता के कारण और अपूर्ण दस्तावेजों के कारण गृह मंत्रालय ने मंजूरी नहीं दी थी।

मार्च 2016 में, एमएचए द्वारा पट्टे पर लाइनों के लिए दिल्ली पुलिस को वित्तीय अधिकार देने के पश्चात दिल्ली पुलिस अंत में सितम्बर 2016 में एमटीएनएल से पट्टे पर इंटरनेट लाइनों के लिए आदेश दे सकी। इंटरनेट लीज लाइनों की स्थापना का कार्य मार्च 2017 में पूर्ण हुआ। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने अपने वेब आधारित कार्यक्रमों के लिए निजी एजेंसी के सर्वर का उपयोग करना जारी रखा और अगस्त 2013 से मार्च 2017 तक किराए पर लिए गए सर्वरों पर ₹ 1.11 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2017) कि सर्वरों का उपयोग साइबर राजमार्ग कनेक्टिविटी के उपयोग से इंट्रानेट एप्लीकेशनों के लिए किया गया था, और इस प्रकार ये निष्क्रिय नहीं थे। यह निविदा प्रक्रिया में 'अस्वस्थ' प्रतिस्पर्धा के लिए लीजड इंटरनेट लाइनों की खरीद में विलंब का कारण बना। इसके साथ ही विंडोज सर्वर और लिनक्स सर्वर के ऐप्लीकेशनों का किराये वाले सर्वरों से एससीआरबी के डाटा सेंटर में स्थानांतरण का कार्य पूर्ण हो चुका है और सभी वेबसाइट दिल्ली पुलिस के स्वामित्व वाले सर्वरों में स्थानांतरित कर दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इंटरनेट लाइनों को लीज करने में तीन वर्ष से अधिक का अनुचित विलंब हुआ था। दिल्ली पुलिस की डॉक्यूमेंटेशन के उचित सुनिश्चितता और जीएफआर के अनुपालन में विफलता के कारण विलंब हुआ जिसके परिणामस्वरूप एमएचए द्वारा प्रस्तावों को बार-बार लौटा दिया गया। इसके उत्तर में यह कहना कि इंट्रानेट एप्लीकेशन के लिए सर्वर का उपयोग किया गया था, लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों का हल नहीं देता है

क्योंकि सर्वरों का किराए पर लिए गए सर्वरों से बदलना परन्तु लीज लाइनों के अभाव के कारण तीन वर्षों से अधिक समय तक उपयोग नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, दिल्ली पुलिस ने सभी कोडल औपचारिकताओं के अनुरूप इंटरनेट लाइनों को पट्टे पर देने के प्रस्ताव को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए एक निजी पार्टी से सर्वरों को किराए पर लेने पर ₹ 1.11 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।